



क्रमांक / पंजीयन / 2024 / ९१०

रायपुर, दिनांक 31/12/2024

—:: पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण हेतु सूचना ::—

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.) में पंजीकृत समस्त आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 के धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों, परिषद् की संपन्न 17वीं एवं 20वीं बैठक में लिये गये निर्णयों एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियम 2023 (आचार एवं पंजीयन) के धारा 7 के परिपालन में चिकित्सा व्यवसायियों को प्रत्येक 05 वर्षों में अपने पंजीयन का पुनरीक्षण तथा नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

2/ उपरोक्तानुसार ऐसे आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी जिनका पंजीयन स्थानीय राज्य परिषद् में **01 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019** तक हुआ है उनके लिए पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण की प्रक्रिया दिनांक **01 जनवरी 2025** से प्रारंभ की जा रही है। उपरोक्त अवधि में पंजीकृत चिकित्सक पुनरीक्षण सह नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, दस्तावेजों तथा निर्धारित शुल्क के डिमांड ड्रॉफ्ट सहित बिना विलंब शुल्क के 31 जनवरी 2025 तक तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक परिषद् के उपर लिखित पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, दस्तावेजों की सूची एवं शुल्क की जानकारी परिषद् के वेबसाइट www.cgaupcb.in से प्राप्त कर सकते हैं।

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी,
प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर
कार्यालय – शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 – 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

—:: पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण के लिए आवेदन ::—

प्रति,

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटो चर्चा
करें।

मेरा नाम छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 के अंतर्गत संधारित राज्य रजिस्टर में आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्रविष्ट है। मेरा नाम उक्त रजिस्टर में जारी रखने हेतु मूल पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, पुनरीक्षण सह नवीनीकरण आवेदन पत्र तथा 02 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न कर रहा/रही हूँ :—

01. नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी Block Letter में) _____
02. पिता का नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी Block Letter में) _____
03. जन्मतिथि (अंग्रेजी कैलेण्डर अनुसार) दिनांक _____ माह _____ वर्ष _____
04. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक क्रमांक _____ दिनांक _____
05. वर्तमान चिकित्सा व्यवसाय का पता
(यदि शासकीय सेवा में हैं
तो पदस्थापना स्थल का पता)
(अंग्रेजी Block Letter में) _____

06. वर्तमान निवास स्थान का पता
जिस पर पत्राचार किया जा सके
(अंग्रेजी Block Letter में) _____

07. मोबाइल नंबर _____
08. आधार नंबर _____
09. ई-मेल _____
10. रक्त समूह _____
11. अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने
का वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नाम

12. क्या आप किसी आपराधिक या
वृत्तिक कदाचरण के मामले में
किसी न्यायालय अथवा राज्य परिषद्
से दण्डित हुए है? — हॉ / नहीं
यदि हॉ तब :—
- प्रकरण क्रमांक _____
 - दण्ड की प्रकृति _____
 - न्यायालय / राज्य परिषद् का नाम _____
13. नवीनीकरण के लिए शुल्क की जानकारी
- नगद _____
 - बैंक ड्रॉफ्ट नंबर _____
 - बैंक का नाम एवं शाखा _____
 - कुल राशि रूपये _____

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रदान की गयी उपरोक्त समस्त जानकारियाँ
एवं संलग्न दस्तावेज सत्य एवं प्रमाणित हैं।

स्थान — _____

दिनांक — _____

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

वचन-पत्र

मैं

निवासी

पुत्र/पुत्री

आयु

निम्नलिखित वचन पत्र रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ :—

01. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, अधिनियम 1970 के उपबंधो के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् में मेरा नाम प्रविष्ट किया गया है तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ————— जारी किया गया है। मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने हेतु मैं मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि/नवीनीकरण आवेदन पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर रहा/रही हूँ।
02. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, द्वारा मुझे आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु बिन्दु 01 में उल्लेखित अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
03. यह कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में रजिस्टर में मेरा नाम चालू रखने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन पत्र दिनांक तक मेरे चिकित्सा व्यवसाय के संबंध में किसी भी न्यायालय, थाना, जॉच एजेंसी अथवा राज्य परिषद् आदि में कोई भी प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है।
04. यह कि मुझे किसी भी न्यायालय अथवा राज्य परिषद् द्वारा मुझे, मेरे द्वारा किए गए/किए जा रहे चिकित्सा व्यवसाय अथवा अन्य किसी भी प्रकरण के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा अन्य विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया है।
05. यह कि मेरे द्वारा यह वचन पत्र छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

वचन पत्र की कण्डिका 01 से 05 में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रमाणित है।

वचनग्रहिता का नाम एवं हस्ताक्षर



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाइट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

-:: पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क विवरण ::-

आवश्यक दस्तावेज :-

01. आवेदन पत्र
02. पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति,
03. आधार कार्ड का स्वप्रमाणित छायाप्रति,
04. नवीनतम 02 पासपोर्ट साईज फोटो,
05. शपथ पत्र,
06. डिमांड ड्रॉफ्ट "CG AYUR, UNANI PRAKRI, CHIKITSA" के नाम से स्वीकार किए जाएंगे।

अथवा

नगद शुल्क की रसीद

पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण शुल्क :-

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 01. बिना विलंब शुल्क आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की
तिथि 31 जनवरी 2025 तक देय शुल्क | — 1,500/-
(एक हजार पाँच सौ रुपये) |
| 02. विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत
करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक ¹
देय शुल्क (500/- विलंब शुल्क) सहित | — 2000/-
(दो हजार रुपये) |

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी,
प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.)
